खिलान और अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1348/2007)

09 मार्च,2010

(न्यायमूर्ति- वी.एस. सिरपुरकर और सुरिंदर सिंह निज्जर, जेजे)

दोषसिद्धि अन्तर्गत -धारा 302/34- भारतीय दंड संहिता, 1860- घातक हथियारों से लैस आठ अभियुक्त व्यक्तियों का मृतक को मारने के लिए विधि विरूद्ध जमाव का गठन -मृतक पर घातक चोटों का प्रहार -चार अभियुक्तों को धारा 302/34 के अंतर्गत दोषसिद्धि और सजा- -उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि लेकिन एक अभियुक्त को दोषमुक्त किया-अपील में अभिनिर्धारण: साक्ष्य के विवेचन या न्याय की दृश्यमान विफलता नहीं है- इस प्रकार, अधीनस्थ अदालतों द्वारा तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराने के

आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है- अपराध में उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए गए अभियुक्त की उपस्थिति और भागीदारी संदिग्ध, इस प्रकार, इस संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि -भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 136।

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पक्षकारों के मध्य भूमि विवाद था। घातक हथियारों से लैस पी, के, जी, एसएस, डी, केआर, जीएल और बी ने एक विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया और टीएस को घातक चोटें पहुंचाईं। पीआर-पीडब्लू 2 और एसबी हमले के चश्मदीद गवाह थे। विचारण न्यायालय ने पी, जी. एल, के और एस. एस. को आई. पी. सी. के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने पी, के और जी. एल. की दोषसिद्धि और दण्डादेश की पुष्टि की लेकिन एस. एस. को दोषमुक्त कर दिया। इसलिए, वर्तमान परस्पर विरोधी अपीले संस्थित की गई थी। इस न्यायालय ने दिनांक 16.02.2010 के आदेश द्वारा अपीलों को खारिज कर दिया।

अब अपीलों को खारिज करने के कारण बताते हुए न्यायाल्य ने अभिनिर्धारित किया कि:

आपराधिक अपील सं. 1348/2007 :

1.1. विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि चार अभियुक्तगण क्रमश: पी, के, जी और एसएस ने मृतक को घातक चोटें पहुंचाई थी। साक्ष्यों पर गहन विचार करने के बाद ही विचारण न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। [पैरा 15]

1.2. अपील में उच्च न्यायालय ने संपूर्ण साक्ष्य की और भी अधिक विस्तार से पुनः विवेचना की। उच्च न्यायालय स्वतंत्र रूप से अपने निष्कर्ष पर पहुंच गया था। यह देखा गया है कि "डॉक्टर द्वारा दिए गए चिकित्सकीय साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मृतक को पांच चोटें आई थी। चोटों के परिणाम स्वरूप टी. एस. की तत्काल मृत्यु हो गई। उच्च न्यायालय एस. बी. की गवाही पर अविश्वास करने के कारण को दोहराया है। पीडब्लू 2-पीआर द्वारा दिए गए साक्ष्य का अवलोकन करने पर, यह देखा गया है कि पीडब्लू 2 ने केवल यह कहा था कि उसके मामा सुबह चाय पीने के बाद खेतों में जाते हैं। वह आमतौर पर दोपहर में दोपहर का भोजन करने के लिए वापस आता है। गवाह ने यह कभी नहीं कहा कि उस विशेष तिथि पर भी मृतक ने

केवल चाय ली थी। इस संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा डॉक्टर से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया था। किसी भी स्थिति में केवल यही कारण अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को गलत साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उच्च न्यायालय ने एस. बी. के साक्ष्य को इस आधार पर भी खारिज कर दिया कि बी. की पहचान स्थापित नहीं की गई है। मृतक पर केवल एक चोट थी जो एक कुंद हथियार से कारित हो सकती थी। एस.बी. ने जोर देकर कहा था कि बी ने मृतक पर लाठी से हमला किया था। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा कि केवल इसलिए कि गवाहों का मृतक से निकट संबंध था और परिवारों के बीच दुश्मनी है, एकरूप व समपुष्ट साक्ष्य को अस्वीकार करने का आधार नहीं है। अपीलार्थी की निशादेही से हथियार बरामद किए गए थे। यह भी निष्कर्ष निकाला गया है कि टीएस की मृत्यु उन सभी चोटों के संचयी प्रभाव के कारण हुई थी जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए लिए पर्याप्त थी। उक्त निष्कर्ष इस परिस्थिति से भी पुष्ट होता है कि टी. एस. की चोट लगने के तुरंत बाद मृत्यु हो गई। इसलिए, उच्च न्यायालय

ने विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को पुष्ट किया था। पी.डब्लू 2 के साक्ष्य की बारीकी से जांच करने पर, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपराध में एसएस की उपस्थिति और भागीदारी संदिग्ध थी। यह देखा गया है कि हालांकि पी. डब्लू. 2 और पी.डब्लू. 4- एस.एल. की साक्ष्य पी, जी और के द्वारा निभाई गई भूमिका और उपयोग किए गए हथियारों के संबंध में समरूप हैं, किंतु एस. एस. द्वारा निभाई गई भूमिका और उपयोग किए गए हथियारों के संबंध में भौतिक विसंगतियों/असंगतियों से ग्रस्त है। यह पाया गया है कि पी का बयान धारा 161 द.प्र.सं. के तहत जांच के दौरान दिए गए उसके कथन से असंगत है। रिपोर्ट के साथ-साथ धारा 161 द.प्र.सं. के तहत अपने कथन में उसने कहा है कि एसएस लुहांगी ले गया था। किंतु, अपने बयान में उसने अपना कथन बदल दिया और कहा कि वह फरसा ले गया था तथा उसका प्रयोग किया था। इसके अलावा जाँच के दौरान उसके कब्जे से लुहांगी को बरामद कर जब्त किया गया है। यहां तक कि पी.डब्लू. 4 ने भी उल्लेख किया कि एसएस के हाथ में लुहांगी

थी। फलस्वरूप उसे संदेह का लाभ दिया गया और बरी कर दिया गया। [पैरा 16]

1.3. यह बिलकुल स्पष्ट है कि अधीनस्थ अदालतों द्वारा साक्ष्य की विवेचना के परिणामस्वरूप यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्तों/अपीलार्थी के साथ गंभीर अन्याय हुआ है। विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य की स्वतंत्र विवेचना कर की गई है। साक्ष्य के मूल्यांकन या न्याय की स्पष्ट विफलता में किसी भी दुर्बलता के अभाव में, इस न्यायालय के लिए नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णयों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। दोनों अदालतों ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई पूरे साक्ष्य की बड़ी मेहनत से जांच की है। दोनों अदालतों द्वारा दिए गए निष्कर्षों के समर्थन में ठोस कारण दिए गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में यह न्यायालय हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होगा। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय की शक्तियां बहुत व्यापक हैं, लेकिन उनका प्रयोग केवल असाधारण मामलों में किया जाता है जहां

पीड़ित पक्ष के साथ तात्विक और गंभीर अन्याय किया गया है। [पैरा 17]

संदर्भित:-

अरुणाचलम बनाम पी. एस. आर. साधनानथम (1979) 2 एस. सी. सी. 297; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बाबू/नाथ (1994) 6 एस. सी. सी. 29; गंगा कुमार श्रीवास्तव बनाम बिहार राज्य (2005) 6 एस. सी. सी. 211,

1.4. वर्तमान मामले में साक्ष्य को देखने पर, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि अपीलार्थी किसी भी ऐसी किसी भी अपवादिक परिस्थिति या न्याय की विफलता को साबित करने में सक्षम हैं जो इस न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर दे; और यह कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा व्यक्त की गई राय या तो स्पष्ट रूप से अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के प्रतिकूल या समर्थन योग्य नहीं थी। इस न्यायालय के लिए स्वयं को तीसरी बार साक्ष्यों पर पुर्नविचार करने वाले न्यायालय में परिवर्तित करना संभव नहीं है। अपीलार्थियों के अधिवक्ता द्वारा किए गए अथक प्रयासों के बावजूद,

वर्तमान मामला न तो कोई आपवादिक मुद्दा उठाता है और न ही इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है। [पैरा 21]

<u>आपराधिक अपील सं. 1540/2008</u>

एसएस के संबंध में प्रमुख गवाह पीआर-पीडब्लू2 का साक्ष्य असंगत और विरोधाभासी प्रकृति का था। पी.डब्लू 2 और पी. डब्लू 4 द्वारा दिए गए साक्ष्य में स्पष्ट विरोधाभास था। न्यायालय में दिए गए बयान और अनुसंधान के दौरान पहले दिए गए कथनों के साथ-साथ रिपोर्ट में भी विसंगतियां थी। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने यह राय व्यक्त की कि अपराध में एसएस की उपस्थिति और भागीदारी संदिग्ध है। यह एक संभावित और स्वीकार्य मत होने के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। [पैरा 1]

केस कानून संदर्भ

(1979) 2 SCC 297	संदर्भ	पैरा 18
(1994) 6 SCC 29	संदर्भ	पैरा 19

(2005) 6 SCC 211 संदर्भ पैरा 20

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1348/2007-

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ, ग्वालियर के आपराधिक अपील संख्या 120/1998 में पारित निर्णय और आदेश के दिनांकित 10.04.2006 से ।

साथ में

आपराधिक अपीलीय संख्या 1540/2008

अपीलार्थीगण के लिए हरिंदर मोहन सिंह, कौशल यादव, दुर्गेश यादव और शबाना।

प्रत्यर्थी के लिए एस. के. दुबे, बी. एस. बंथिया, नवीन शर्मा, योगेश तिवारी और एन. अन्नपूर्णी।

न्यायालय का निर्णय सुरिंदर सिंह निज्जर, न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया.

1. 16.2.2010 को इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया था:

"प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस के दुबे ने कहा कि उसी फैसले से उत्पन्न होकर, मध्य प्रदेश राज्य ने भी संग्राम सिंह को बरी करने के खिलाफ एक और आपराधिक अपील संख्या 1540/2008 दायर की है और अनुरोध किया है कि वर्तमान अपील के साथ उक्त अपील पर भी सुनवाई की जाए ।

आपराधिक अपील क्रमांक 1540/2008 स्वीकार किया गया है।

हस्ताक्षरित आदेश के अनुसार अपीलें खारिज की जाती हैं। तर्कसंगत आदेश अनुसरण करेगा

2. अब हम कारण बताने के लिए आगे बढ़ते हैं।

3. वर्तमान अपील, दो अपीलार्थीगण द्वारा आपराधिक अपील संख्या 120/98, दिनांक 10.04.2006 मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर की गई है। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया और आईपीसी

की धारा 302/34 के तहत दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा।

4. हम इस अपील में शामिल मुख्य तथ्यों पर संक्षेप में गौर कर सकते हैं। अभियोजन पक्ष का मामला था कि आठ आरोपी व्यक्तियों, प्रेमा, खिलान , गैंदालाल, संग्रामसिंह, दुर्जन, काशी राम, ग्यारसिया लाल और बिहारी ने एक विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया था। उन्होंने खुद को घातक हथियारों से लैस किया और तूफान सिंह को मारने के अपने सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए उस पर हमला किया , जिसमें वे सफल रहे। शिकायतकर्ता, प्रभुलाल (पीडब्लू2) द्वारा यह कहा गया था कि 08.12.1991 को जब वह मल त्याग के लिए खेतों में गया था, तो उसने अपने मामा तूफान सिंह को "मार दिया-मार दिया " चिल्लाते हुए सुना। वह दौड़कर मौके पर गया तो देखा कि आरोपी प्रेमा, गैंदा व खिलान फरसे तथा संग्राम लुहांगी से लैस तथा दुर्जन, काशी, ग्यारसिया लाल व बिहारी लाठियों से लैस होकर उसके मामा तूफान सिंह पर हमला कर रहे थे। हमले से मामा तूफान सिंह जमीन पर गिर गये। जब उसने अपीलकर्ता को

हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो प्रेमा ने अन्य आरोपियों को शिकायतकर्ता को भी मारने के लिए उकसाया। सभी आरोपियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह भागकर अपने घर पहुंच गया। शिकायतकर्ता (पीडब्लू2), फूल सिंह (पीडब्लू7) और दो अन्य व्यक्तियों से हमले के बारे में सुनने के बाद, मेहरबान और राजाराम मौके पर गए। हालांकि हमलावर भाग गये। तूफान सिंह की जांच करने पर पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। उसके सिर पर गहरे घाव हो गए थे और उनसे खून बह रहा था। खेत में काम कर रही सुशीला बाई हमले की चश्मदीद बताई जा रही है। अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि प्रेमा और उसके बेटों का मृतक और उसके परिवार के साथ जमीन को लेकर विवाद था। घटना की सूचना अनंत सिंह के पुत्र प्रभुलाल ने उसी दिन लगभग 13:00 बजे दी। सूचना प्राप्त होने पर थाना कचनार में अपराध क्रमांक 108/1991 धारा 147, 148, 302/149 भा.द.स. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। अन्वेषण के समापन पर आरोप पत्र दायर किया गया और सभी आठ आरोपियों को मुकदमे के लिए भेजा गया। सभी आरोपियों ने खुद

को निर्दोष बताया। इन सभी ने दलील दी कि दुश्मनी के कारण उन्हें झूठा फंसाया गया है।

5. विचारण के समापन पर अतिरिक्त. सत्र न्यायाधीश ने दुर्जन, काशी राम, ग्यारसिया लाल और बिहारी को सभी आरोपों से बरी कर दिया। प्रेमा, गैंदा लाल, खिल्लन और संग्राम सिंह को धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के तहत तूफान सिंह की हत्या का दोषी ठहराया गया और प्रत्येक को आजीवन कारावास और 500/- रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। आगे यह निर्देश दिया गया कि चूक किए जाने पर उन्हें दो महीने की अतिरिक्त कठोर कारावास की सज़ा भुगतनी होगी।

6. उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर संग्राम सिंह सहित वर्तमान याचिकाकर्ताओं/ अपीलार्थीगण ने इसे उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में चुनौती दी।

7. उच्च न्यायालय ने संपूर्ण साक्ष्य की पुनः विवेचना के बाद अपीलार्थीगण, प्रेमा, खिल्लन, गैंदा और संग्राम सिंह की दोषसिद्धि और दण्डादेश को बरकरार रखा। हालाँकि, संग्राम सिंह

की दोषसिद्धि और दण्डादेश को रद्द कर दिया गया और उन्हें यथाविधि बरी कर दिया गया।

8. उपरोक्त निर्णयों के विरुद्ध, खिल्लन और गैंदा लाल ने वर्तमान अपील दायर की है।

9. हमने पक्षकारों के वकील को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की कहानी स्वाभाविक रूप से असंभव है। अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य अंतर्निहित विरोधाभासों से ग्रस्त हैं। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार यह दो परिवारों के बीच पुरानी दुश्मनी के कारण झूठा फंसाने का स्पष्ट मामला है। प्रातः 10 बजे पीडब्लू 2 प्रभुलाल की क्षेत्र में उपस्थिति काफी अप्राकृतिक एवं संदिग्ध है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, गांवों में लोग सुबह-सवेरे नहाने – धोने के लिए जाते हैं, जब अर्ध-अँधेरा होता है। सुबह 10 बजे मलत्याग के लिए कोई नजर नहीं आएगा। किसी भी स्थिति में, इस गवाह के बयान विरोधाभासी हैं। उसका दावा है कि वह अपना चेहरा धोने के लिए अपने साथ एक बर्तन लेकर गया। उसके लिए मुंह धोने के लिए मैदान में जाने का कोई अवसर नहीं था क्योंकि पक्षकारों के घर

खेतों में स्थित थे और बहुत पास-पास थे। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि उन्हीं सबूतों के आधार पर चार लोगों को विचारण न्यायालय ने और एक को अपील न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया था। इसलिए, उन्हीं कारणों के आधार पर से अपीलार्थीगण संदेह का लाभ प्राप्त करने और दोषमुक्त होने के हकदार थे। अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य का विस्तृत संदर्भ देते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा अलग-अलग वर्णन दिए गए हैं। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि तूफान सिंह सुबह सात बजे बिना गर्म कपड़े पहने खेतों में नहीं जा सकता था। वह दिसंबर के महीने में केवल जांघिया नहीं पहन सकता था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि तूफान सिंह ने वास्तव में सुशीला बाई को बाबा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। इसलिए, उस पर तोरई के बाबा ने हमला किया। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, तूफान सिंह की वास्तव में मृत्यु उस ट्रैक्टर के पलट जाने से हुई, जिसमें उसे इलाज के लिए ले जाया जा रहा था।

10. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता प्रभुलाल (पीडब्ल्यू 2) ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसके मामा तूफान सिंह हर दिन भैंसों को चराने के लिए खेतों में ले जाते थे। 08.12.1991 को सुबह करीब 7 बजे वह भी खेत पर गया था। उसने आगे कहा था कि उसके मामा चाय पीने के बाद खेतों में चले जाते थे और दोपहर में भोजन के लिए लौटते थे। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार यदि मृतक केवल चाय पीकर गया होता तो उसके पेट में आधा पचा हुआ भोजन नहीं होता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ तौर पर बताया गया है कि मृतक के पेट में आधा पचा खाना था। ऐसा तभी हो सकता है जब मृतक ने मरने से करीब 3 से 4 घंटे पहले कुछ खाया हो।

11. संपूर्ण साक्ष्यों पर चर्चा करने के लिए विचारण न्यायालय ने तीन प्रमुख विवाद्यक विरचित किए, जिन्हें इस प्रकरण में निर्धारित करने की आवश्यकता थी ।

विवाद्यक संख्या क्रमांक 1 "क्या 08.12.1991 को सुबह 10 बजे तूफान सिंह की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु हत्या है?" ट्रायल कोर्ट ने डॉ. नटवर सिंह (पीडब्लू1) के साक्ष्य पर गौर किया,

जिन्होंने 9.12.1991 को मृतक का पोस्टमार्टम किया था। इस गवाह ने कहा कि मृतक पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं: -

(i) खोपड़ी के मध्य में मध्य पार्श्विका क्षेत्र पर "सी" आकार का एक कटा फटा हुआ घाव, जिसका आकार 5 सेमी x 5 सेमी x मस्तिष्क कट (मेनिनजाइटिस और मस्तिष्क पदार्थ) तक है जिसमें रक्त का थक्का जमा हुआ है।

(ii) दाहिनी बांह के निचले हिस्से पर पार्श्व पहलू पर 1/3 भाग पर 2.5 सेमी x 1.5 सेमी x हड्डी तक गहरा एक कटा हुआ घाव।

(iii) बायीं जांघ के मध्य में (अस्पष्ट) पार्श्व पहलू पर एक तिरछा कटा हुआ घाव।

(iv) बायीं जांघ के मध्य 1/3 भाग पर पार्श्व पहलू पर 5 सेमी x 3 सेमी x मांसपेशी कट 1 x = चोट संख्या 3 के नीचे एक कटा हुआ घाव।

(v) आकार 3 से. मी. x 1.5 से. मी. x हड्डी की गहराई के पूर्ववर्ती पहलू पर बाएं पैर के मध्य में एक कटा हुआ घाव

(vi) 5 सेमी x 3 सेमी के पूर्वकाल पार्श्व पहलू पर बाएं अंडकोश पर एक चोट। इस गवाह की राय थी कि तूफ़ान सिंह की मृत्यु का कारण उपरोक्त चोटों के कारण हुए रक्तस्राव के परिणामस्वरूप सदमा था।

12. ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किया गया दूसरा विवाद्यक यह था कि "क्या 08.12.1991 को सुबह 10 बजे फरसा, लुहांगी लाठी से लैस सभी आरोपियों ने सामान्य उद्देश्य और ज्ञान के अग्रसरण में ग्राम आम खेड़ा पथरिया में तूफान सिंह पर हमला किया था?"

13. इसके बाद विचारण न्यायालय ने प्रभुलाल (पीडब्लू 2), श्रीलाल (पीडब्लू 4), फूल सिंह (पीडब्लू 7) के साक्ष्य का मूल्यांकन किया। प्रभुलाल ने हमले के बारे में गवाही दी थी; जबकि श्रीलाल और फूल सिंह ने प्रभुलाल द्वारा, आरोपियों द्वारा तूफान सिंह पर हमले की जानकारी देने के बाद की घटनाओं के बारे में बात की। विचारण न्यायालय ने पाया कि दुर्जन, काशी राम, बिहारी और ग्यारसिया लाल द्वारा किए गए हमले के बारे में शायद ही कोई विश्वसनीय सबूत था। प्रभुलाल (पीडब्लू2) ने केवल इतना कहा कि वे लाठियों से लैस थे, और केवल घटनास्थल पर

खड़े थे। उन्होंने अपराध में भाग नहीं लिया. इसलिए उन्हें बरी कर दिया गया है.

14. विचारण न्यायालय ने बचाव पक्ष की ओर से इस दलील को खारिज कर दिया कि स्वतंत्र गवाहों से जानबूझकर पूछताछ नहीं की गई है। यह निष्कर्ष निकाला गया है कि केवल दो समूहों के बीच दुश्मनी और मृतक के साथ गवाहों के घनिष्ठ संबंध के कारण प्रभुलाल (पी डब्लू2) श्री लाल (पीडब्लू4) और फूल सिंह (पीडब्लू7) के साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। उनके साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए विचारण न्यायालय ने देखा कि रिपोर्ट तुरंत दर्ज की गई थी जिसमें प्रभुलाल और फूल सिंह का वर्णन था। तुरंत अन्वेषण भी प्रारंभ कर दिया गया था। उसी दिन द.प्र.सं. की धारा 161 के तहत श्री लाल के बयान दर्ज किये गये। तीनों गवाह घटना के भौतिक तथ्यों पर एकमत हैं। चोटों की प्रकृति, समय और मृत्यु के कारण के संबंध में डॉ. नटवर सिंह (पीडब्लू1) के साक्ष्य से चक्षुदर्शी साक्ष्य की पुष्टि होती है। शव के ऊपर जो चोटें पाई गईं, वे मुख्य रूप से तेज धार वाले हथियार की थी, जो फरसा और

लुहांगी भी हो सकती हैं। विचारण न्यायालय ने तब इस दलील पर ध्यान दिया कि आंत में अर्ध-पचा हुआ भोजन पाया गया था, हालांकि, प्रभुलाल (पीडब्लू 2) ने कहा था कि आमतौर पर मृतक सुबह चाय पीता था। विचारण न्यायालय की राय थी कि प्रभुलाल (पीडब्ल्यू 2) ने केवल यह कहा था कि मृतक आमतौर पर केवल चाय पीता था, लेकिन इस आशय का कोई बयान नहीं था कि उस विशेष दिन मृतक ने कुछ और नहीं खाया था। इसके बाद विचारण न्यायालय ने सुशीला बाई (पीडब्लू9) के साक्ष्य पर गौर किया। यह देखा गया है कि चूँकि उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया था इसलिए उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था। विचारण न्यायालय ने गवाह पर विश्वास नहीं किया क्योंकि मृतक के शरीर पर 5 चोटें लगी थी, जो केवल किसी धारदार हथियार से ही कारित हो सकती थी। सुशीला बाई का कहना था कि बाबा ने मृतक पर लाठी से हमला किया था। बचाव पक्ष की यह बात कि बाबा ने तूफ़ान पर हमला किया था, क्योंकि सुशीला बाई को बाबा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया था, उस पर विश्वास नहीं किया गया क्योंकि जब

पीडब्लू 9 के रूप में उससे पूछताछ की गई तो आरोपी की ओर से उससे कोई सवाल नहीं किया गया। विचारण न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला मृतक को लगी चोटें ट्रैक्टर के पलटने के कारण नहीं हैं, जिस पर उसे ले जाया जा रहा था। डॉ. नटवर सिंह (पीडब्लू1) के अनुसार, तूफान सिंह के पांच चोटें लगी थी। केवल चोट संख्या 6 ही किसी कुंद हथियार से हो सकती थी। विचारण न्यायालय ने यह भी देखा कि आरोपी की निशानदेही पर अपराध के हथियार बरामद किए गए थे। उपरोक्त के आधार पर विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि चार आरोपियों प्रेमा, खिल्लन, गैंदा और संग्राम सिंह ने मृतक को घातक चोटें पहुंचाई थी।

15. विचारण न्यायालय द्वारा तय किया गया तीसरा विवाद्यक यह है कि क्या उपरोक्त तिथि, समय और स्थान पर आरोपी व्यक्तियों ने तूफान सिंह को घातक हथियारों से मारने और तूफान सिंह पर हमला करते समय किए गए बल और आक्रामकता का उपयोग करने के लिए विधि विरूद्ध जमाव बनाया था। इस मुद्दे पर विचार करते हुए विचारण न्यायालय ने दोहराया

कि हत्या आरोपी प्रेमा, खिल्लन, गैंदा और संग्राम सिंह ने की थी। यह भी देखा गया है कि दुर्जन, काशी राम, ग्यारसिया लाल और बिहारी की भागीदारी उनकी उपस्थिति मात्र से सिद्ध नहीं होती। इन लोगों का तूफान सिंह को मारने का कोई इरादा नहीं था और न ही उन्होंने उसे मारने के लिए विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया था। उपरोक्त से, यह बिलकुल स्पष्ट है कि सबूतों पर गहन विचार करने के बाद ही विचारण न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है।

16. अपील में उच्च न्यायालय ने पूरे साक्ष्य की और भी अधिक विस्तार से विवेचना की। उच्च न्यायालय स्वतंत्र रूप से अपने निष्कर्ष पर पहुंचा था। यह देखा गया है कि डॉ. नटवर सिंह द्वारा दिए गए चिकित्सीय साक्ष्य से स्पष्ट है कि मृतक को पांच गंभीर चोटें आई थी। चोटों के कारण तूफान सिंह की तत्काल मौत हो गई। उच्च न्यायालय ने सुशीला बाई की गवाही पर अविश्वास करने का कारण दोहराया. प्रभुलाल द्वारा दिए गए साक्ष्यों की जांच करने पर यह पाया गया कि पीडब्लू 2 ने केवल यह कहा था कि उसकी माँ सुबह चाय लेने के बाद खेतों में जाती

है। वह आमतौर पर दोपहर में खाना खाने के लिए वापस आता है। गवाह ने यह कभी नहीं कहा कि उस विशेष तिथि को भी मृतक ने केवल चाय पी थी। किसी भी पक्ष की ओर से डॉक्टर से इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया। किसी भी स्थिति में यह एकल कारक अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए सबूतों को गलत साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उच्च न्यायालय ने सुशीला बाई के साक्ष्य को भी इस आधार पर खारिज कर दिया कि बाबा की पहचान स्थापित नहीं की गई है। मृतक पर केवल एक चोट थी जो किसी कुंद हथियार के कारण हो सकती थी। सुशीला बाई का कहना था कि बाबा ने मृतक पर लाठी से हमला किया था। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा कि केवल इसलिए कि गवाह मृतक के करीबी रिश्तेदार थे और परिवारों के बीच दुश्मनी थी, उन साक्ष्यों को खारिज करने का कोई कारण नहीं है जो सुसंगत और पुष्ट हैं। अपीलकर्ता की निशानदेही पर हथियार बरामद कर लिए गए हैं। यह भी निष्कर्ष निकाला गया है कि तूफान सिंह की मृत्यु उन सभी चोटों के संचयी प्रभाव के कारण हुई थी जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण

बनने के लिए पर्याप्त थी। उपरोक्त निष्कर्ष इस परिस्थिति से भी पुष्ट होता है कि चोट लगने के तुरंत बाद तूफान सिंह की मृत्यु हो गई। इसलिए उच्च न्यायालय ने विद्वान विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण का समर्थन किया था। पीडब्लू 2 प्रभुलाल की साक्ष्य की बारीकी से जांच करने पर, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपराध में संग्राम सिंह की उपस्थिति और भागीदारी संदिग्ध थी। यह देखा गया है कि यद्यपि पीडब्लू 2, प्रभुलाल और श्री लाल पीडब्लू 4 की साक्ष्य प्रेमा, गैंडा और खिल्लन द्वारा निभाई गई भूमिका और इस्तेमाल किए गए हथियारों के संबंध में सुसंगत हैं। हालाँकि यह संग्राम सिंह द्वारा निभाई गई भूमिका और इस्तेमाल किए गए हथियारों के संबंध में भौतिक विसंगतियों/असंगतियों से ग्रस्त है। यह पाया गया कि प्रभुलाल का बयान द.प्र.सं. की धारा 161 (एक्स.डी1) के तहत अन्वेषण के दौरान दिए गए उसके बयान से असंगत है। रिपोर्ट प्रदर्श.पी 2 में और द.प्र.सं. की धारा 161 के तहत अपने बयान में उसने कहा है कि संग्राम सिंह लुहांगी ले जा रहा था। हालाँकि, अपने बयान में उसने अपना कथन बदल दिया था और कहा था कि उसके पास फरसा था और

इसका इस्तेमाल किया । इसके अलावा जांच के दौरान उसके कब्जे से लुहांगी भी बरामद कर जब्त कर ली गई । श्री लाल पीडब्ल्यू4 ने भी उल्लेख किया है कि संग्राम सिंह के हाथ में लुहांगी थी।

17. उपरोक्त से, यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा साक्ष्य की विवेचना के परिणामस्वरूप यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के साथ गंभीर अन्याय हुआ है। विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों की सबूतों की निष्पक्ष विवेचना कर उच्च न्यायालय द्वारा पुनः पुष्टि की गई है। साक्ष्य की विवेचना या न्याय की स्पष्ट विफलता में किसी भी दुर्बलता के अभाव में, इस न्यायालय के लिए अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। दोनों अदालतों ने पक्षकारों की उपस्थिति में सभी साक्ष्यों की कड़ी मेहनत से जांच की है। दोनों अदालतों द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के समर्थन में ठोस कारण दिए गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में यह न्यायालय हस्तक्षेप करने में अनिच्छुक होगा। हालाँकि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय की शक्तियाँ बहुत

व्यापक हैं, लेकिन उनका प्रयोग केवल असाधारण मामलों में किया जाता है जहाँ पीड़ित पक्ष के साथ पर्याप्त और गंभीर अन्याय हुआ हो।

18. भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा दर्ज किए गए दोषमुक्ति या दोषसिद्धि के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की इस न्यायालय की शक्ति का दायरा और सीमा इस न्यायालय के कई निर्णयों में चर्चा का विषय रहा है। हम यहां पहले के केवल तीन निर्णयों पर ध्यान दे सकते हैं। अरुणाचलम बनाम पीएसआर साधननथम,1 (1979) 2 एससीसी 297 के मामले में इस न्यायालय ने यह पाया है:

> "शक्ति इस अर्थ में पूर्ण है कि अनुच्छेद 136 में ही उस शक्ति को योग्य ठहराने वाले कोई शब्द नहीं हैं। लेकिन, शक्ति की प्रकृति ने ही न्यायालय को ऐसी सीमाएँ निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया है जिसके भीतर ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जा सके। अब यह इस न्यायालय की सुस्थापित प्रथा है कि अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति को केवल असाधारण

परिस्थितियों में ही लागू करने की अनुमति दी जाती है, जैसे कि जब सामान्य सार्वजनिक महत्व के कानून का कोई प्रश्न उठता है या कोई निर्णय न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देता है। लेकिन, अपने द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के भीतर, इस न्यायालय के पास तथ्य के निष्कर्षों में भी हस्तक्षेप करने की निस्संदेह शक्ति है, दोषमुक्ति और दोषसिद्धि के निर्णयों के बीच कोई अंतर नहीं किया जाता है, यदि उच्च न्यायालय ने उन निष्कर्षों पर पहुंचने में 'विकृत या अन्यथा अनुचित तरीके से कार्य किया है ।"

19. इसके उपरांत उ.प्र. राज्य बनाम बाबुल नाथ, 2 (1994) 6 एससीसी 29 के मामले में , अनुच्छेद 136 के दायरे पर विचार करते हुए कि यह न्यायालय संभवतः तथ्य के निष्कर्षों को कब उलट सकता है, यह निम्नानुसार पाया गया है॰

"5. सबसे पहले हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एक अपील में यह न्यायालय आम तौर पर सबूतों का पुनर्मूल्यांकन नहीं करता है और गवाहों की विश्वसनीयता के सवाल पर नहीं जाता है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा किए गए साक्ष्य के मूल्यांकन को अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है, जब तक कि निश्चित रूप से, साक्ष्य की सराहना और निष्कर्ष, प्रक्रिया के कानून की किसी भी त्रुटि से दूषित न हो या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, अभिलेख की त्रुटियों और साक्ष्य की गलत व्याख्या, को विपरीत न पाया जाए, या जहां उच्च न्यायालय के निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत और असमर्थनीय है।"

20. उपरोक्त दो निर्णयों के साथ-साथ इस न्यायालय के कुछ अन्य पूर्व निर्णयों पर इस न्यायालय द्वारा गंगा कुमार श्रीवास्तव बनाम बिहार राज्य,3 (2005) 6 एससीसी 211 के मामले में

विचार किया गया था । उपरोक्त निर्णय के चरण संख्या 10 में इस न्यायालय ने पहले के निर्णयों से उभरे सिद्धांतों को निम्नलिखित शब्दों में उजागर किया है:

> "(i) संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय की शक्तियां बहुत व्यापक हैं लेकिन आपराधिक अपीलों में यह न्यायालय असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करता है1
>
> (ii) यदि उच्च न्यायालय ने विकृत या अन्यथा अनुचित तरीके से कार्य किया है, तो यह इस न्यायालय के लिए खुला है कि वह, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तथ्यात्मकयों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करे।
>
> (iii) यह न्यायालय केवल असाधारण परिस्थितियों में ही अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति का उपयोग करने के लिए खुला है, जब आम जनता के महत्व के

कानून का कोई प्रश्न उठता है या कोई निर्णय न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देता है।

(iv) जब अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य विश्वसनीयता और स्वीकार्यता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे और ऐसे में उस पर कार्रवाई करना बेहद असुरक्षित है।

(v) जहां साक्ष्य की सराहना और निष्कर्ष प्रक्रिया के कानून की किसी त्रुटि से दूषित हो या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पाया गया हो, अभिलेख की त्रुटियां और साक्ष्य की गलत व्याख्या, या जहां उच्च न्यायालय के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से विकृत हैं और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से असमर्थित।"

21. वर्तमान मामले में पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं ने हमें साक्ष्यों से अवगत कराया है। हम यह निष्कर्ष निकालने में असमर्थ हैं कि अपीलार्थी किसी भी असाधारण परिस्थितियों या न्याय की ऐसी विफलता को

स्थापित करने में सक्षम हैं जो इस न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देगा। हम यह निष्कर्ष निकालने में असमर्थ हैं कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा व्यक्त की गई राय या तो स्पष्ट रूप से विकृत थी या रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर असमर्थित थी। इस न्यायालय के लिए स्वयं को तीसरी बार साक्ष्यों की विवेचना करने वाली अदालत में परिवर्तित करना संभव नहीं है। अपीलार्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए कड़े प्रयासों के बावजूद, हमारी सुविचारित राय है कि वर्तमान मामला न तो कोई असाधारण मुद्दा उठाता है और न ही इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है।

22. ऊपर बताए गए कारणों से अपील खारिज की जाती है। आपराधिक अपील संख्या 1540/2008-

1. हमने पहले आपराधिक अपील संख्या 1540/08 में दिए गए फैसले में पाया है कि संग्राम सिंह के संबंध में मुख्य गवाह, प्रभुलाल (पीडब्लू 2) के साक्ष्य प्रकृति में असंगत और विरोधाभासी थे। प्रभुलाल और श्री लाल (पीडब्लू4) द्वारा दिए गए

सबूतों में सीधा टकराव था। अदालत में दिए गए बयान और जांच के दौरान पहले दिए गए बयानों और रिपोर्ट Ex.P2 में भी विसंगतियां थी। फलस्वरूप उच्च न्यायालय ने यह राय व्यक्त की कि संग्राम सिंह की अपराध में उपस्थिति एवं भागीदारी संदिग्ध है। यह एक संभावित और प्रशंसनीय दृष्टिकोण होने के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हमारे अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी।

2. आपराधिक अपील संख्या 1348/2007 में पारित निर्णय के मद्देनजर,

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इन्टलीजेन्स टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी चंचल मिश्रा **(RJS)** द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादिक किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारित एवं अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अग्रेजी संस्करण ही प्रमाणित होगा और निष्पादन एवं कार्यन्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।